09/09/2021 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। वकील वादी ने दस्तावेज सूची साथ दस्तावेज पेश किये। बहस वकुलाय उभय पक्षों की सुनी गई। वास्ते नि[र्णय] पत्रावली दिनाक 20.09.2021 को पेश हो।

20/9/2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 258, 261, 266/1190, 267 किता 4 रकबा 1.33 है ग्राम मावण्डा कला की खातेदारी वादीगण के ताउ व प्रतिवादी सं. 1 से 9 के पिता/पति नारायणराम पुत्र खेमला उर्फ खम्माराम के नाम दर्ज है जिसके नये खसरा नम्बर 533, 535, 536, 542 किता 4 रकबा 1.34 है बने है वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही पूर्वज खेमला उर्फ खम्माराम के वारिस है वादीगण के पिता गुल्लाराम व प्रतिवादी सं. 1 से 9 के पिता व पति नारायणराम सगे भाई थे। नारायण राम परिवार में बडा व कर्ताखानदान होने के कारण वादग्रस्त भूमि की खातेदारी अकेले के नाम दर्ज हो गयी जबकि वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से को नारायणराम व 1/2 हिस्से को गुल्लाराम शुरू से ही काश्त करते आ रहे है तथा उनके फौत होने पर उनके वारिस वादीगण 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 हिस्सा 1/2 पर काबिज काश्त चले आ रहे है, जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय नारायण पुत्र खेमला उर्फ खम्माराम के स्थान पर सहवन से नारायणराम पुत्र रूपाराम दर्ज हुआ है। प्रतिवादीगण ने भी इकबाली जबाब दावा पेश कर मेरे वाद के कथनों को स्वीकार किया है तथा वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर मेरा कदीमी कब्जा काश्त होना व नारायणराम परिवार मे बडा व कर्ताखानदान होने के कारण भूमि अकेले के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है, पुराना राजस्व रिकार्ड पेश किया है। पडौसी खातेदार के बयान करवाये है। अत दावा डिकी किया जावे एव वादग्रस्त आराजी मे दर्ज खातेदार नारायणराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर नारायणराम पुत्र खम्माराम दुरूस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने कथन किया कि नारायणराम व गुल्लाराम दौनो सगे भाई थे तथा खम्माराम की सन्तान थे। तथा दौनो भाई वादग्रस्त भूमि पर 1/2, 1/2 हिस्से पर लगातार काबिज काश्त चले आये है तथा उनके फौत होने पर वादीगण 1/2 हिस्से पर व प्रतिवादीगण सं. 1 से 9 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे एव वर्तमान मे भी काबिज काश्त है। हमारे पिता नारायणराम परिवार मे बडे व कर्ताखानदान होने से खातेदारी अकेले के नाम सहवन से दर्ज हो गयी। हमारे दादा का नाम खम्माराम था। जिसे गांव मे खेमला के नाम से भी बुलाया जाता था इस कारण पुरानी जमाबन्दी मे खेमला दर्ज है। बाद मे जमाबन्दी बनाते समय खेमला के स्थान पर रूपाराम गलत दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि मे वादीगण को 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जावे।

......लगातार...

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों की सुनी गई एव पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड, दस्तावेजात एव इकबाली जबाब दावा व बयान गवाहान का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत खतोनी बन्दोबस्त सम्वंत 2012 ग्राम मावण्डा कला के अवलोकन से पाया गया कि 258, 261, 266/1190, 267 की खातेदारी नारायणराम पुत्र खेमला नाबालिग माली सा देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबन्दी सम्वत 2024 से 2027 में भी नारायणराम पुत्र खेमला रिकार्ड मे दर्ज है। इसके बाद बनी जमाबन्दी सम्वत 2028 से 2031 मे नारायण बल्द रूपला कौम माली दर्ज है। इससे यह तो स्पष्ट है कि जमाबन्दी चौसाला तैयार करते समय नारायण राम के पिता का नाम खेमला के स्थान पर रूपला दर्ज हुआ है। जो वर्तमान ख0न0 533, 535, 536, 542 किता 4 रकबा 1.34 है. के रिकार्ड में नारायणराम पुत्र रूपाराम ही दर्ज है। जो काबिले दुरूस्ती होना पाया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान एव इकबाली जबाब दावा एव बयान गवाहान से पक्षकारान एक की पुर्वज खेमला उर्फ खम्माराम के वारिस होना तथा पिता वादीगण गुल्लाराम व पिता व पति प्रतिवादीगण 1 ता 9 नारायणराम सगे भाई होना एव वादग्रस्त भूमि कर्ताखानदान होने से अकेले नारायणराम के नाम दर्ज होना व वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त चले आना सिद्व होता है। अत. दीवानी प्रकिया सहिता आदेश 23 रूल 3 अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबाली जबाब दावा अनुसार दावा वादीगण डिकी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत. उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिकी किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना की भूमि ख0न0 533, 535, 536, 542 किता 4 रकबा 1.34 है. मे दर्ज खातेदार नारायणराम पुत्र रूपाराम के स्थान पर नारायणराम पुत्र खम्माराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा वादग्रस्त भूमि ख0न0 533, 535, 536, 542 किता 4 रकबा 1.34 है. के 1/2 हिस्से का वादीगण को बकदर बराबर-बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिकी मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:42:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner